



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092024-256913
CG-DL-E-05092024-256913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3455]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 12, 1946

No. 3455]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

का.आ.3785.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.42 के कि.मी.97/410 से कि.मी.136/410 (बत्तलपल्लि से मुदिगुब्बा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.42 के कि.मी.97/410 से कि.मी.136/410 (बत्तलपल्ली से मुदिगुब्बा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: श्री सत्य साई		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बथलपल्ली					
गांव का नाम: बथलापल्ली					
1	266-1A1	सरकारी (एसाइन्ड)	गोवत ड्राई	0.09 (एकर)	0.0364225
2	270-2E1B	निजी (पट्टा)	गोवत ड्राई	0.0299999 (एकर)	0.0121408
3	270-2E3B	निजी (पट्टा)	गोवत ड्राई	0.0099999 (एकर)	0.0040469
4	570-1J2	निजी (पट्टा)	गोवत ड्राई	0.0600001 (एकर)	0.0242817
गांव का नाम: अपराचेरूवू					
5	74	सरकारी (एसाइन्ड)	गोवत ड्राई	1.59 (एकर)	0.6434642
6	75	सरकारी (एसाइन्ड)	गोवत ड्राई	1.569999 (एकर)	0.6353703
गांव का नाम: ओबुलापुरम					
7	190-9A	निजी	गोवत ड्राई	0.09 (एकर)	0.0364225

8	6-1B	निजी	गोवत ड्राई	0.1399999 (एकर)	0.0566572
9	78-5	सरकारी (एसाइन्ड)	गोवत ड्राई	0.0299999 (एकर)	0.0121408
कुल योग					1.4609469

[फा. सं. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2024

S.O.3785.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-42 in the stretch of land from Km.97/410 to Km.136/410 (Bathalapalli to Mudigubba Section) in the district of Sri Satya Sai in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Joint Collector, Sri Satya Sai District, Puttaparthi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.97/410 to Km.136/410 (Bathalapalli to Mudigubba Section) of NH-42 in the district of Sri Satya Sai in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Sri Satya Sai		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bathalapalli					
Village: Bathalapalli					
1	266-1A1	Government (Assigned)	Govt Dry	0.09 (Acre)	0.0364225
2	270-2E1B	Private (Patta)	Govt Dry	0.0299999 (Acre)	0.0121408
3	270-2E3B	Private (Patta)	Govt Dry	0.0099999 (Acre)	0.0040469
4	570-1J2	Private (Patta)	Govt Dry	0.0600001 (Acre)	0.0242817
Village: Apracheruvu					
5	74	Government (Assigned)	Govt Dry	1.59 (Acre)	0.6434642
6	75	Government (Assigned)	Govt Dry	1.569999 (Acre)	0.6353703
Village: Obulapuram					
7	190-9A	Private	Govt Dry	0.09 (Acre)	0.0364225
8	6-1B	Private	Govt Dry	0.1399999 (Acre)	0.0566572
9	78-5	Government (Assigned)	Govt Dry	0.0299999 (Acre)	0.0121408
Total					1.4609469

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP/3A]

ABHAY JAIN, Director